मध्य प्रदेश शासन

आयुष विभाग,

वल्लभ भवन कमांक–3, चतुर्थ तल

मंत्रालय भोपाल

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 08 / 03 / 2019

कमांक / 876 / 81 / 2019 / 1 / 59 :: डॉ.प्रकाश चन्द्र सोनी, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकि.अधि. भोपाल एवं डॉ.सैयद गजांफर इस्तयाक, सेवा.यूनानी उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल द्वारा प्रस्तुत सामूहिक अभ्यावेदन दिनांक "निल", जो विभाग में दिनांक 07.01.19 में दोनों सेवानिवृत्त आयुष चिकित्सा अधिकारी अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.2016 को सेवानिवृत्त हो जाने पर जुलाई माह की नोशनल वेतनवृद्धि चाही गई है।

2/– यहा यह उल्लेखनीय है कि डॉ.प्रकाश चन्द्र सोनी, आयुर्वेद चिकि.अधि.भोपाल एवं डॉ.सैयद गजांफर इस्तयाक, सेवा.यूनानी उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल अपनी–अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर दिनांक 30.06.16 को ही सेवानिवृत्त हो जाने पर जुलाई की वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं बनती। मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अधिनियम 2011 की धारा 2 (एक) में प्रावधान हैं कि प्रत्येक शासकीय सेवक उस मास के, जिसमें कि वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ले, अंतिम दिन के अपरान्ह में सेवानिवृत्त हो जाएगा। इन नियमों के अनुसार डॉ.प्रकाश चन्द्र सोनी, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकि.अधि.भोपाल एवं डॉ.सैयद गजांफर इस्तयाक, सेवा.यूनानी उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल को नियमानुसार सेवानिवृत्त किया है। य डॉ.प्रकाश चन्द्र सोनी, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकि.अधि.भोपाल एवं डॉ.सैयद गजांफर इस्तयाक, सेवा.यूनानी उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल की जन्मतिथि जुलाई माह एक तारीख को छोडकर शेष किसी भी दिनांक को होती तो ही उन्हें जुलाई 2017 की वेतनवृद्धि की पात्रता होती। जबकि उनकी जन्म तिथि जून 1956 में होने पर नियमानुसार उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30.06.2016 होने पर ही सेवानिवृत्त किये जाने पर जुलाई माह के नोशनल वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं है। जुलाई माह की वेतनवृद्धि जुलाई पेड अगस्त के वेतन में लगती है। यदि उक्त अधिकारियों द्वारा माह जुलाई की सेवा निरन्तर करते ऐसी स्थिति में ही वेतनवृद्धि पाने की पात्रता बनती।

3/– मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अधिवार्षिकी आयु) संशोधन अधिनियम 2011 की धारा 2 (एक) के अनुसार डॉ.प्रकाश चन्द्र सोनी, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकि.अधि.भोपाल एवं डॉ.सैयद गजांफर इस्तयाक, सेवा.यूनानी उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन दिनांक "निल" में जुलाई 2017 की वेतनवृद्धि की पात्रता नहीं है। अतः राज्य शासन एतद्द्वारा डॉ.प्रकाश चन्द्र सोनी, सेवानिवृत्त आयुर्वेद चिकि.अधि.भोपाल एवं डॉ.सैयद गजांफर इस्तयाक, सेवा.यूनानी उप संचालक, संचालनालय आयुष भोपाल द्वारा प्रस्तुत सामूहिक अभ्यावेदन पूर्ण विचारोपरांत अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(डॉ0एस.एस.कुमरे)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक / 877 / 81 / 2019 / 1 / 59 भोपाल, दिनांक 08 / 03 / 2019

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. आयुक्त, संचालनालय आयुष, मध्यप्रदेश, भोपाल।
2. संभागीय आयुष अधिकारी, भोपाल।
3. जिला आयुष अधिकारी, भोपाल। आदेश की एक प्रति संबंधितों के वर्तमान पते पर तामील कराने हेतु।
4. उप संचालक, संचालनालय, आयुष की ओर उक्त आदेश विभागीय बेवसाइड पर प्रदर्शित करने हेतु।

5– डॉ0प्रकाश चन्द्र सोनी, ए–4 / 301, पारस सिटी, ई–3,अरेरा कालोनी भोपाल।

6– डॉ.सैयद गजांफर, 41, महावीर कालोनी, बिरला हाउस (मुरार) ग्वालियर (म0प्र0)

7– आर्डर फोल्डर / स्थापना लिपिक।

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन आयुष विभाग